

**अनुमति की शर्तें ।**

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) शिफ्टी के प्रकार का डिजाइन (न्यायिक, सार्वजनिक, व्यक्तिगत या अन्य) होने की शिफ्टी से निगम को कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आयदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

एकल खंडकी केवल अवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यलय नगर निगम, जोधपुर

आयदन क्रमांक 900 दिनांक 23/02/2024

श्री श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरीहित S/O श्री युष्काय सिंह राजपुरीहित

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण सशि स्तार 94501-जमा

जारीये रसीद संख्या 9069/3942, 3943

दिनांक 23/02/2024 को जमा करा दी है ।

P.O: 103 पूर्वी पट्टे नगर २।

23/2/2024

सहायक नगर निर्वाहक  
नगर निगम जोधपुर

Recevid

Pischa

24/02/24  
76270-21960